

प्रत्येक देश में विधानपालिका का प्रमुख कार्य विधियों का निर्माण करना, उनमें संशोधन करना तथा कि कुछ पुराने विधियों को repeal करने का होता है। भारत में भी विधानपालिका (संसद) का मुख्य कार्य विधेयक का कानून बनाने का है। कानून बनाने के लिए संसद के समक्ष जो प्रारूप (Draft) या Proposal प्रस्तुत किया जाता है, उसे विधेयक (Bill) कहते हैं। मुख्य रूप से विधेयक 2 प्रकार के होते हैं -

(1) साधारण विधेयक (Ordinary Bill)

(2) धन विधेयक (Money Bill) या वित्त विधेयक (Finance Bill)

दोनों प्रकार के विधेयकों को पारित करने के लिए प्रत्येक प्रक्रियाएँ हैं।

साधारण विधेयक (Ordinary Bill) की प्रक्रिया

धन विधेयक या वित्तीय विधेयक को छोड़कर अन्य दूसरे विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं।

साधारण विधेयक, सरकारी होने पर मंत्रियों द्वारा और गैर-सरकारी होने पर निजी सदस्यों (Private members) द्वारा संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकते हैं।

(Introduction)
पुनःस्थापन - साधारण विधेयक किसी भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है।

यदि सरकारी Gazette में कोई सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित हो जाए, तो उस सरकारी विधेयक को पेश किया जाना मान लिया जाता है। उसके लिए मंत्रियों को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।

जब कोई स्वतंत्र सदस्य संसद के किसी सदन में कोई साधारण विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह एक महीने पूर्व अपनी विधेयक संबंधी इच्छा की लिखित सूचना (Notice) दे। उक्त सूचना में विधेयक का प्रारूप, उक्त विधेयक के उद्देश्य और स्थापन के कारण भी संलग्न रहने चाहिए। उसमें आवर्ती

(Recurring) और अनावर्ती (non-recurring) व्ययों का लेखा भी होना चाहिए। ऐसे विधेयक जिनका प्रभाव राज्य और राज्यों की सीमाओं पर पड़ता हो अथवा सरकारी भाषा को बदलने पर पड़ता हो, तो वे सभी राष्ट्रपति की पूर्व सन्मति से ही पुनः स्थापित हो सकते हैं।

प्रथम वाचन (First Reading)

विधेयक की पुनः स्थापना के निश्चित दिन विधेयक का प्रस्तावक सदस्य (Member) सदन की अनुमति से विधेयक का शीर्षक पढ़ता है और उसके सामान्य सिद्धांतों (General Principles), उद्देश्यों और मुख्य बातों पर संक्षिप्त भाषण देता है। इस विधेयक का प्रथम वाचन कहते हैं। प्रथम वाचन के उपरान्त पर विधेयक के प्रत्येक खण्ड या धारा पर बहस नहीं होती है, बल्कि सामान्य सिद्धांतों पर ही वाद-विवाद होता है।

कभी-कभी किसी विधेयक का पुनः स्थापन और प्रथम वाचन एक ही दिन होता है।

द्वितीय वाचन - (Second Reading) -

प्रथम वाचन के उपरान्त अद्यक्ष विधेयक को भारतीय गजट में छपाने के लिए भेज देता है। किसी सदस्य की प्रार्थना पर भी सदन का अद्यक्ष विधेयक को गजट में छपाने के लिए भेज सकता है। ऐसी स्थिति में विधेयक के पुनः स्थापित करने के लिए सदन की आज्ञा लाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस दिन विधेयक पर विचार होना निश्चित होता है, विधेयक का प्रस्तावक सदस्य निम्नलिखित प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव रख सकता है -

- 1) सदन विधेयक पर या तो शीघ्र विचार करे अथवा प्रस्ताव में निर्दिष्ट किसी अन्य दिन उक्त विधेयक पर विचार किया जाये, अथवा

(ii) विधायक प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

(iii) विधायक की जनमत-संग्रह के लिए प्रसारित किया जाय।

यदि कोई विधायक विरोध शून्य हो और शासन। सरकार द्वारा पुनः स्थापित किया जाये तो शायद उसपर तुरंत विचार करने की अनुमति मिल सकती है। सामाजिक महत्व के सैसी विधायकों का, जिनका राष्ट्र के जीवन पर प्रभाव पड़ता हो अथवा कोई सैसी नई बात हो जिसके कारण विवाद और विरोध भाव उत्पन्न हो, अवश्य ही जनमत के लिए प्रसारित किया जाता है। सभी विधायक अवश्य ही प्रायः प्रवर समिति में विचारार्थ भेज दिए जाते हैं।

जब तीनों प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव रखा जाता है, तो या तो उसी दिन या फिर किसी और दिन उसके मुख्य सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। विधायक का प्रस्तावक विस्तारपूर्वक समझाता है और व्याख्या करता है कि प्रस्तावित विधायक की क्या आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है। विरोधी सदस्य उक्त विधायक की आलोचना कर सकते हैं। इस समय भी विस्तारपूर्वक विधायक पर विचार नहीं होता है और ना ही संशोधन उपस्थित किए जाते हैं सकते हैं और ना ही

धाराओं पर मतदान होता है। ही ही प्रकृत है।
उस समय समूची विधायक पर विचार किया
जाता है और संशोधन केवल उक्त प्रस्ताव पर
प्रस्तुत किए जाते हैं।

समिति स्तर - यदि सदन विधायक की प्रवर

समिति में भेजने संबंधी प्रस्ताव को

स्वीकार कर लेता है तो एक समिति तदर्थ नियुक्त
की जाती है। उक्त समिति में अन्य सदस्यों के

अतिरिक्त विधायक का प्रस्तावक भी रहता है और
दूसरा विधायक सदस्य होता है जो प्रवर समिति का

सदस्य होता है। सदन के सदस्यों में
से ही किसी सदस्य को, सदन के उपाध्यक्ष

प्रवर समिति के सभापति नियुक्त कर दते
हैं। यदि किसी समिति में सदन के उपाध्यक्ष

भी सदस्य हों तो वही सभापति होते हैं।

समिति विधायक की सूझ परीक्षा करती है।

वह किसी व्यक्ति को भी बुला सकती है और
उसकी जवाही कराके उससे संबंधित कागज

या सूत्र मांग सकती है। समिति विधायक

के विषय से संबंधित विशेषज्ञों या ऐसे लोगों

को राय भी ले सकती है, जिनके हितों पर
उक्त विधायक का प्रभाव पड़ता हो। प्रवर समिति
विधायक में संशोधन भी उपस्थित कर सकती
है।

प्रतिवेदन स्तर — यदि विधेयक को प्रवर
समिति में भेजा जाता है या
अनुमत संग्रह के लिए प्रसारित किया जाता है
तो, प्रतिवेदन के मिल जाने पर पूरा सदन उस
विधेयक पर बहस करता है। साधारणतः विवादास्पद
विधेयकों पर अनुमत संग्रह किया जाता है और
सहनपूर्ण विषयों को प्रवर समिति में भेजा जाता
है। प्रतिवेदन के मिल जाने पर विधेयक के खण्ड-
खण्ड (Clause by Clause) पर विचार किया जाता
है। प्रतिवेदन स्तर पर प्रत्येक संशोधन के सुझाव पर
बहस होती है और विधेयक संशोधन और मूल धारा
पर अलग-अलग सदन की राय ली जाती है
और विधेयक खण्डशः पास किया जाता है।

तृतीय वाचन — अगर द्वितीय वाचन में विधेयक
स्वीकार हो जाता है, तो तृतीय
वाचन के लिए सदन के समक्ष रखा जाता है।
तृतीय वाचन ~~में~~ विधेयक की अंतिम अवस्था
(Last Stage) है। इस अवस्था में विधेयक के
केवल सामान्य सिद्धांतों के पक्ष और विपक्ष में
भाषण दिए जाते हैं। नये संशोधन या भाषा
संबंधी अशुद्धियों को दूर करने वाले संशोधन प्रस्तुत
नहीं किए जा सकते। तृतीय वाचन के अवसर पर
संपूर्ण विधेयक (Bill as a whole) पर मतदान
लिया जाता है और यदि विधेयक बहुमत से स्वीकृत

0
पृष्ठ
नं

ही जल्द ही सदन द्वारा स्वीकृत माना जाता है।
दूसरे सदन में - तृतीय वाचन में स्वीकृत
हो जाने के बाद पर सदन के अध्यक्ष या
सचिव द्वारा विधेयक का प्रमाणीकरण या
(Authentication) किया जाता है और
प्रमाणीकरण के पश्चात् विधेयक को दूसरे
सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में
भी विधेयक को निम्नलिखित 5 स्तरों से पास
करना पड़ता है -

- 1) प्रथम वाचन ✓
- 2) द्वितीय वाचन ✓
- 3) समिति स्तर ✓
- 4) प्रतिवेदन - स्तर ✓
- 5) तृतीय वाचन ✓

Report

राष्ट्रपति की स्वीकृति - यदि दूसरा सदन भी
विधेयक को उसी रूप में
पास कर देता है जिस रूप में प्रथम सदन ने
भेजा है जिसमें विधेयक पुनः स्थापित किया गया है
था, तो विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए
प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को
स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं।
यदि वह चाहे तो विधेयक को दोनों सदनों के
पुनर्विचारार्थ वापस भेज सकते हैं। ऐसा करने समय
राष्ट्रपति उक्त विधेयक में संशोधन का सुझाव
दे सकते हैं।
message दे सकते हैं।
यदि दोनों सदनों उक्त

विधेयक को संशोधन सहित या संशोधन सहित पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति को अवश्य ही स्वीकृति प्रदान करनी होती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर विधेयक किसी विधि का रूप धारण करता है।

जातिरोध की परिस्थिति में - Joint Session (Art 108)

विधेयक को राष्ट्रपति को पारित करने के लिए

(1) यदि विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकृत कर देता है, या

(2) दूसरा सदन ऐसे संशोधनों सहित उसे पारित करता है जिन्हें प्रथम सदन स्वीकार नहीं करता,

या

(3) दूसरा सदन विधेयक को छः महीने तक नहीं लाता है

तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद की सम्मिलित बैठक बुला सकते हैं (Art 108)

जहाँ दोनों सदन मिलकर विधेयक पर विचार और मतदान करते हैं।

• यदि संयुक्त बैठक संबंधी संसद निकल चुका है और लोकसभा शंज/विद्यमान हो जाती है तो भी विधेयक समाप्त नहीं होता है।

Quorum to call a joint session is 1/10th of the members of the

of total strength of both the houses of the Parliament.

• Speaker / Deputy Speaker of Lok Sabha heads the Joint session

10/10/20

The procedure is in accordance with the procedure that is followed in the US.

संघीय संसद इसमें संशोधन प्रस्तावित कर सकता है। किन्तु केवल ऐसे संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं जो विधेयक के पारित होने में देर लग जाने के कारण आवश्यक हो जाए हों, या जो उन संशोधनों से संबंध रखते हों जिन्हें किसी एक सदन ने प्रस्तावित किया था, किन्तु दूसरे ने अस्वीकार कर दिया था।

संशोधन की आज्ञा ही जारी या नहीं इसका अंतिम निर्णय सभापति का होता है।

यदि संयुक्त बैठक के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा उक्त विवादस्पद विधेयक पारित हो जाता है तो उसे दोनों सदन द्वारा पारित मान लिया जाता है और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है।

धन-विधेयक (Money Bill)

What is a Money Bill? धन विधेयक क्या है?

धन विधेयक के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित है वह साधारण विधेयक की प्रक्रिया से भिन्न है।

धन विधेयक पर लोकसभा का पूर्णतः

मिश्रण रहता है। यह सर्वप्रथम लोकसभा में ही स्थापित (introduce) हो सकता है, राज्यसभा में नहीं।

According to Article 110 of the Indian Constitution, a money bill falls into the category of a Money Bill if it has any of the following elements -

a) कर लगाने, घटाने, बढ़ाने, नियमित या संगोहित करने इत्यादि से संबंधित हो (regulation, imposition, reduction, or increase in taxes)

b) ऋण लेने, भारत सरकार द्वारा गारंटी देने के नियम या भारत सरकार पर आर्थिक बोझ भार लादने की व्यवस्था से ;

c) भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि (contingency fund) को सुरक्षित रूप से रखने, उसमें रुपया जमा करने या उसमें से धन निकालने की व्यवस्था से ;

d) भारत की संचित निधि पर किसी व्यय का भार डालने या उसमें से किसी व्यय के लिए धन देने की स्वीकृति से ;

e) सरकारी हिसाब में धन जमा करने या उसमें से खर्च, उसकी जाँच आदि से ; जो.

सं. जानें से किसी एक विषय से संबंधित।
इस प्रकार धन विधेयक वह विधेयक है जिसका संबंध संघ की आय-व्यय निधियों के हिसाब-किताब और उनकी जांच आदि मात्र से है।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और उनका निर्णय ही अंतिम होता है।

धन विधेयक की प्रक्रिया - धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति से केवल लोकसभा में ही उपस्थित किया जा सकता है। धन विधेयक किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित नहीं हो सकता। राष्ट्रपति की सिफारिश से वित्त मंत्री (Finance Minister) लोकसभा में धन विधेयक पेश करते हैं। लोकसभा द्वारा पारित होने पर वह राज्यसभा में विचारार्थ भेजा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष हस्ताक्षर कर उसे धन विधेयक घोषित करते हैं। यदि राज्यसभा विधेयक पाने के 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा में उस विधेयक को वापस कर देती है तो लोकसभा उसकी सिफारिशों पर विचार करती है। लोकसभा को पूर्ण अधिकार है कि वह उन सिफारिशों या उनमें से कुछ को स्वीकार करे या न करे।

90 यदि लोकसभा किसी सिफारिश को मान ले, तो सिफारिश के साथ और यदि नहीं माने तो जिस रूप में वह लोकसभा से पारित हुआ था, उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। यदि राज्यसभा 14 दिनों के अंदर धन-विधेयक को नहीं लौटाती है, तो उक्त अधीन-की समाप्ति के बाद उसे वह दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित माना जाएगा, जिस रूप में लोकसभा ने उसे पारित किया था। इसके बाद धन-विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यहाँ भी धन-विधेयक की घोषणा करने समय लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। राष्ट्रपति ना तो उसे वापस कर सकते हैं और ना उसपर अपनी अस्वीकृति व्यक्त कर सकते हैं।

91 जैर - सरकारी विधेयक (Private Member's Bill)

92 जैर - सरकारी विधेयक वह विधेयक है, जो सरकार की ओर से पुनः स्थापित (introduce) नहीं होता है बल्कि मंत्रियों को होकर अन्तम सदस्य इसकी पुनः स्थापना करते हैं। प्रत्येक बुक्रवार को ढाई घंटे जैर - सरकारी विधेयक पर वाद-विवाद होता है। भारतीय लोकसभा ने जैर - सरकारी विधेयक की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त की है। जैर - सरकारी विधेयक पुनः स्थापन के बाद और संविधान में संशोधन वाले विधेयक पुनः स्थापन के पूर्व

ही इस समिति के समस्त विचारार्थ भेजे जाते हैं।
समिति इन विधेयकों के विचार के लिए समय तथा
सहायता की अवस्था की सिफारिश करती है।

आधिकारिक: गैर-सरकारी विधेयक पुनः स्थापित ही
नहीं हो पाते, पारित होना तो उससे भी कठिन है।

संसदीय समितियाँ (Parliamentary Committees)

संसदीय शासन पद्धति के अंतर्गत संसद के कार्य संचालन
के लिए संसदीय समितियाँ आवश्यक हैं। यह समितियाँ
संसदीय कार्य का निर्वहन सरल, कुशल और उचित
बनाती हैं। वर्तमान में विधायिका पर बहुत कार्य-भार
है। अतः संसद के कार्य-संचालन में सहायता के लिए
समितियों की व्यवस्था भारत में भी की गई है।

सामान्यतया संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं -

(i) स्थायी - इसका गठन एक निश्चित समय के लिए
होता है और इनका कार्य अनवरत रूप से
चलता रहता है।

(ii) तदर्थ - इनका गठन एक निश्चित कार्य के लिए
तदर्थ आधार पर होता है तथा कार्य समाप्त
कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने पर उसका अन्त
हो जाता है।

मुख्य संसदीय समितियाँ निम्न हैं -

कार्य-मन्त्रालय समिति - लोकसभा की प्रक्रिया एवं
कार्य संचालन के विषयों
विचार करने के लिए यह समिति सदन के

प्रारम्भ में ही स्थापित की जाती है जिसमें 15 सदस्य होते हैं तथा सदन के अध्यक्ष इसके सभापति होते हैं। इस समिति का कार्यकाल निश्चित नहीं है, व्यवहार में प्रतिवर्ष मई में नई समिति गठित की जाती है।

(2) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति - इस समिति में भी 15 सदस्य होते हैं जिन्हें स्पीकर (speaker) मनोनीत (nominate) करते हैं। इनकी अवधि 1 वर्ष की होती है। इस समिति का मुख्य कार्य सरकारी सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तावित विधेयकों की जांच करना, उन्हें श्रेणीबद्ध करना, उनपर विचार हेतु सिफारिश करना तथा उनके लिए समझ सीमा निर्धारित करना है।

(3) प्रवर समिति - तदर्थ समितियों में यह सबसे प्रमुख समिति होती है। इसका निर्माण किसी विधेयक पर विचार करने के लिए होता है। इसकी नियुक्ति आवश्यकता पडने पर तथा विभिन्न विधेयकों पर विचार करने के लिए अलग-अलग की जाती है।

स्थायी समितियाँ -

(1) प्राक्कलन समिति - इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए

आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली द्वारा होती है। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। वितीय नियंत्रण के उद्देश्य से संसद प्राक्कलन समिति की नियुक्ति करती है जिसके प्रमुख कार्य हैं -

- a) ग्रह रिपोर्ट करना कि धन की बचत, संगठन में उन्नति, प्रशासन में सुधार या परिवर्तन किस प्रकार संभव है।
- b) प्रशासन में कार्यक्षमता तथा मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना।
- c) इस तथ्य की जांच करना कि प्राक्कलनों में निहित नीति की सीमा के अन्तर्गत धन का वितरण भली-भाँति किया गया है या नहीं।

d) प्राक्कलन किस रूप में संसद में प्रस्तुत किए जायें, इस विषय पर सुझाव देना।

यह समिति अपने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए अनेक उपसमितियों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक उपसमिति के अधीन निश्चित सरकारी विभाग होते हैं। यह समिति इतनी महत्वपूर्ण है कि सरकार को अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी बनाने में इसका योगदान रहता है।

(2) याचिका समिति - इस समिति में 15 सदस्य होते हैं जिन्हें स्पीकर मनोनीत करते हैं। सदन के पास जनता द्वारा जो याचिकाएँ प्रस्तुत की जाती हैं उसपर विचार करण के लिए

भाषिका समिति का गठन किया जाता है। इस समिति द्वारा सौंपी गई भाषिका पर विचार करके और उसकी दानबीन करके उसपर अपनी रिपोर्ट सदन को पेश करती है।

(2) लोक-लेखा समिति - जिस प्रकार प्राक्कलन करती है, उसी प्रकार लोक-लेखा समिति प्राक्कलन का परीक्षण धन के व्यय का निरीक्षण करती है। इसमें संसद के 22 सदस्य होते हैं जिनमें से 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुन प्रणाली के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए होता है। यह समिति स्कार के सभी वित्तीय लेन-देन संबंधी खातों की जांच करती है। भारत सरकार के विनियोग लेखों और उनमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की दानबीन करते समय समिति यह समाधान करती है कि -

(i) लेखों में व्यय के रूप में जिस राशी का वितरण दिखाया गया है वह वैधानिक रीति से उपलब्ध थी तथा जिस सेवा या प्रयोजन वह व्यय की गई है, उसके लिए ही निर्धारित थी या नहीं।

(ii) व्यय उस प्राधिकार के अनुसार है जिसके वह अधीन है।

(iii) प्रत्येक पुनर्विनियोग (reappropriation) इस विषय

एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनार गए नियमों के अनुकूल किया गया है।

(iv) इसका यह भी कर्तव्य है कि वह सरकारी नियमों, निर्माण संस्थाओं, स्वायत्तशासी एवं अर्द्ध-स्वायत्तशासी के लेखा-विवरणों और लाभ-हानि खातों सहित आय-व्यय की जाँच करे।

(v) उन मामलों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना जिनके संबंध में राष्ट्रपति ने उससे किन्हीं प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करने की या भंडार के और स्वच्छ के लेखों की परीक्षा करने की अपेक्षा की है।

(4) विशेषाधिकार समिति - 15 सदस्यीय इस समिति का गठन सदन के प्रारंभ में स्पीकर द्वारा की जाती है। इस समिति का कार्य सदस्यों के विशेषाधिकारों में हुए किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की जाँच करना है।

(5) प्रदत्त विधायन संबंधी समिति - संसद कानून विभिन्न विभागों तथा

प्राधिकारियों को विनियम, नियम, उपनियम अथवा उपविधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

इस समिति का उद्देश्य मंत्रियों के प्रदत्त व्यवस्थापन संबंधित अधिकारों का निरीक्षण करना तथा उसके संबंध में सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

Total members = 15

Term = 1 year

(6) सरकारी आश्वासन समिति - मंत्रियों द्वारा समय-समय पर सदन को दिये गए आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं, आदि की दानवीन करने और इन बातों पर प्रतिवेदन देने के लिए 15 सदस्यीय इस समिति के सदस्यों की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए स्पीकर द्वारा की जाती है।

(7) सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों संबंधी समिति - अगर कोई सदस्य सदन की बैठक में अनुपस्थित रहना चाहे तो इसके लिए उस सदन की अनुमति लेनी पड़ती है। इस हेतु प्रस्तुत उसके आवेदन पर यह समिति विचार करती है। जब कोई सदस्य सदन की बैठक से 60 या अधिक दिनों के लिए अनुपस्थित रहता है तब उसका मामला इस समिति को सौंप दिया जाता है।

Members - 15

Term - 1 year

(8) नियम समिति - यह समिति सदन के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया संबंधी मामलों पर विचार करती है। इसे नियमों में आवश्यक संशोधन तथा वृद्धि करने के लिए अनुरोध करने का अधिकार है। सभापति इस समिति के पदेन अध्यक्ष होता है।

Total member - 15 - ~~is~~ nominated by the Speaker of the Lok Sabha.